Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 147-Pindwara Abu (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri SAMARAM of MUKAM- KALUMBARI, POST- VARLI, TEHSIL-PINDWADA DISTRICT- SIROHI sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Sirohi

Date: 03/12/2023

(Siddharth Palanichamy)

Returning Officer

Returning Officer (Sub-Divisional Officer & Sub-Divisional Magistrate

Mount Abu)
147, Pindwara-Abu (Ş.T.)
Sirohi

प्रपत्र 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

147-पिण्डवाडा आबू (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री समाराम, पता:- मुकाम-कालुम्बरी, पोस्ट-वरली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक़ रूप से निर्वाचित हो गए हैं|

स्थान: सिरोही

तारीख: 03/12/2023

(सिद्धार्थ पालानिचामी)

रिटर्निंग ऑफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मिलिस्ट्रेट आबूपर्वत) 147, पिण्डवाडा आबू (अ.ज.जा.) सिरोही